FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर मुकाम

अमरा राम बघेरा बनाम देवा राम बघेरा

किस्म मुकदमा नामान्तरण अपील नं. सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुलदीप सिंह चौहान ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर	
09/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/12/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/12/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 23/03/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 08/06/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:04 IST
Reason: SelfAttested

08/06/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा हाकर दिनांक 04/08/2021 को पेश हो।

04/08/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा हाकर दिनांक 24/11/2021 को पेश हो।

24/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। तीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/12/21 को पेश हो।

22/12/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील तामील होकर तामील अप्राप्त। तीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/02/2022 को पेश हो।

14/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ [illegible] विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] वास्ते बहस पत्रावली [illegible] को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बापू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2022	प्रार्थी वकिल उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 P.m. पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पाक्षिय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेढा-सेठ आये हुए है। खेतों के मध्य जो पुरानी मोठ व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिससे खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेखमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर क[illegible] होने पर शामिल पत्रावली हो [illegible] फैसला शुमार होकर दर्ज [illegible] से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 07 दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. अमराराम पुत्र खेराजराम वगैरा 10
जाति जाट, निवासी धतरवालों का तला,
पटवार मण्डल कोलू
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. देवाराम पुत्र तुलसाराम वगैरा 26
जाति जाट, निवासी धतरवालों का तला,
पटवार मण्डल कोलू
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 266 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – धतरवालों का तला, पटवार मण्डल – कोलु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 251, 278/255 रकबा क्रमशः 5.1614, 7.6289 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु
दिनांकः– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 08-12

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अमराराम पुत्र खेराजराम वगैरा 10
4. विप्रार्थी श्री देवाराम पुत्र तुलसाराम वगैरा 26
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:04 IST
Reason: SelfAttested